

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 293]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 8 जुलाई 2013—आषाढ 17, शक 1935

गृह (सी-अनुभाग) विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2013

क्र. एफ. 35-31-2013-दो-सी-2.—आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 14 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 35-115-2006-सी-एक, दिनांक 5 सितम्बर 2007 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन करती है, अर्थात् :—

1.	मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश	अध्यक्ष
2.	मंत्री, गृह विभाग	उपाध्यक्ष
3.	मंत्री, वित्त विभाग	सदस्य
4.	मंत्री, राजस्व विभाग	सदस्य
5.	मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	सदस्य
6.	मंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	सदस्य
7.	मंत्री, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग	सदस्य
8.	मंत्री, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
9.	राज्य मंत्री, गृह विभाग	सदस्य
10.	मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश	सदस्य.

टिप्पणः—अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह विभाग, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सचिव/संयोजक होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मूलचंद वर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2013

क्र. एफ. 35-31-2013-दो-सी-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 8 जुलाई, 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मूलचंद वर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 8th July 2013

No. F. 35-31-2013-II-C-2.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 14 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005) and in supersession of this Department's Notification No. F. 35-115-2006-C-One, dated 5th September, 2007, the State Government, hereby, establish the State Disaster Management Authority, namely :—

1.	Chief Minister, Madhya Pradesh	Chairman
2.	Minister, Home Department	Vice-Chairman
3.	Minister, Finance Department	Member
4.	Minister, Revenue Department	Member
5.	Minister, Public Health and Family Welfare Department	Member
6.	Minister, Urban Administration and Development	Member
7.	Minister, Commerce, Industries and Employment Department	Member
8.	Minister, Public Works Department	Member
9.	State Minister, Home Department	Member
10.	Chief Secretary, Madhya Pradesh	Member.

Note.—The Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Home Department shall be the Secretary/Convenor of the State Disaster Management Authority.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
MOOLCHAND VERMA, Dy. Secy.